अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

57. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 127ख की उपधारा (1) में, "कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा माल नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "या अन्यथा कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है" शब्द रखे जाएंगे। धारा 127ख का संशोधन ।

58. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग की उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 127ग का संशोधन ।

"परंतु इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि को समझौता आयोग द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, तीन मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।"।

59. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ में,— धारा 127ठ का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "1 जून, 2007 से पूर्व" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (i) में, "धारा 127ग की उपधारा (7)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात्, ",जैसी वह वित्त

2007 का 22 अधिनियम, 2007 की धारा 102 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी या धारा 127ग की उपधारा (5)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

2007 का 22 (iii) खंड (ii) में, "उपधारा (7)" शब्द, अंक और कोष्ठकों के पश्चात्, "जैसी वह वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 102 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी या धारा 127ग की उपधारा (5)" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

60. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 और संख्यांक सा0का0नि0 92(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 से संशोधित हो जाएंगी और उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना के सामने उस अधिसूचना के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख को और उससे, दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएंगी । सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचनाओं का संशोधन।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को, उक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार संशोधित करने की शक्ति है, मानो केंद्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचनाओं का सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति थी ।

(3) कोई वाद या अन्य कार्यवाही ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्यवाही या किसी बात के लिए या किए गए लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष इस प्रकार संस्थित नहीं की जाएगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएगी और की गई ऐसी किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए ऐसे लोप से संबंधित किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, मानो उक्त अधिसूचनाओं में किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(4) उस रकम की वसूली की जाएगी, जिसका संदाय नहीं किया गया है, किंतु उसका तब संदाय किया गया होता, यदि उक्त उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता, यदि इस धारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को भूतलक्षी रूप से संशोधित नहीं किया गया होता ।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

61. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 3 का संशोधन ।

"परंतु भारत में आयातित किसी वस्तु की दशा में, —

1976 का 60 (क) जिसके संबंध में बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी वस्तु का फुटकर विक्रय मूल्य उसके पैकेज पर घोषित करने की अपेक्षा है ; और

(ख) जहां भारत में उत्पादित या विनिर्मित समान वस्तु, या ऐसे मामले में, जहां ऐसी समान वस्तु, इस प्रकार उत्पादित या विनिर्मित नहीं है, उन वस्तुओं का वर्ग या वर्णन, जिससे आयातित वस्तु संबंधित है,—

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट माल है, वहां आयातित वस्तु का मूल्य, उस पर घोषित ऐसी फुटकर विक्रय कीमत से उपशमन, यदि कोई हो, की ऐसी रकम को जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन ऐसी समान वस्तु की बाबत अनुज्ञात करे, घटाकर आई रकम को आयातित वस्तु की फुटकर विक्रय कीमत समझा जाएगा ; या 1944 का 1

(ii) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की अनुसूची के स्पष्टीकरण 3 के खंड (1) के साथ पठित धारा 3 के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट माल है, वहां आयातित वस्तु का मूल्य उस पर घोषित ऐसी फुटकर विक्रय कीमत से उपशमन, यदि कोई हो, की ऐसी रकम को, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन ऐसी समान वस्तु की बाबत अनुज्ञात करे, घटाकर आई रकम को आयातित वस्तु की फुटकर विक्रय कीमत समझा जाएगा । 1955 का 16

स्पष्टीकरण—जहां किसी आयातित वस्तु की एक से अधिक फुटकर विक्रय कीमत घोषित की जाती है वहां ऐसी फुटकर विक्रय की अधिकतम कीमत इस धारा के प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय कीमत समझी जाएगी ।"।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

62. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा।